

क्रमांक / वाल्मी / प्रशा.02 / 2018-19 / 642

भोपाल, दिनांक 08/1/2019


आदेश

श्री एस. के. श्रीवास, सहायक यंत्री का निलम्बन समाप्त कर उन्हें तत्काल प्रभाव से पूर्ववत् सेवा में बहाल किया जाता है।

चूंकि प्रकरण में श्री श्रीवास अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीनता बरते जाने के दोषी पाये गये हैं एवं उनके द्वारा यह आरोप (आरोप क्रमांक-2 एवं 5) स्वीकार भी किये गये हैं।

अतः श्री श्रीवास की एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जाती है। नो वर्क-नो पे के आधार पर निलम्बन अवधि का वेतन देय नहीं होगा।


अन्य सभी प्रयोजनों हेतु यह निलम्बनकाल अर्हताकारी सेवा में सम्मिलित किया जायेगा।


(उर्मिला शुक्ला)
संचालक

पृ. क्रमांक / वाल्मी / प्रशा.02 / 2018-19 / 642
प्रतिलिपि:

भोपाल, दिनांक 08/1/2019

1. श्री एस. के. श्रीवास, सहायक यंत्री, वाल्मी भोपाल।
2. समस्त प्रकोष्ठ/शाखा प्रभारी, वाल्मी, भोपाल।
3. निज सहायक, संचालक कक्ष
4. व्यक्तिगत नस्ती, श्री एस. के. श्रीवास, सहायक यंत्री, वाल्मी भोपाल।
5. गार्ड नस्ती
- ✓ 6. वेबसाईट समिति


(उर्मिला शुक्ला)
संचालक